[2019] 2 एस. सी. आर 1

शिवनारायण (डी) एल. आर. एस.

वी.

मानिकलाल (डी) टीएचआर। एलआरएस। & ओआरएस।

(2019 की सिविल अपील संख्या 1052)

फरवरी 06,2019

[आशोक

भूषण और के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

एसएस। 16 , 17 और 39 (1) (सी); आदेश II आरआर। 2 और 3-इंदौर में अदालत के समक्ष मुकदमा-दो संपत्तियों के संबंध में (एक इंदौर में)

प्रतिवादी सं. के पक्ष में इंदौर की संपत्ति के संबंध में दस्तावेज। 9 और 10 अमान्य के रूप में-प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन नं. 7 और 8 क्षेत्रीय अधिकारिता के अभाव और पक्षों की गलतफहमी और उनके कारण के लिए उनके खिलाफ मुकदमे को खारिज करने की मांग करते हुए

कार्रवाई-निचली अदालत ने मुंबई में संपत्ति और उससे संबंधित राहत के संबंध में दलीलों को खारिज कर दिया, उस अलग कारण को मानते हुए

कार्रवाई की संख्या को एक ही मुकदमे में जोड़ा नहीं जा सकता है-उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा-अपील पर अभिनिर्धारित कियाः धारा 16 सामान्य सिद्धांत निर्धारित करती है कि मुकदमे वहां लगाए जाने चाहिए जहां विषय-वस्तु स्थित है-धारा 17 सामान्य नियम के अपवाद को शामिल करती है कि मुकदमा स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी भी अदालत में स्थापित किया जा सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति का कोई भी हिस्सा स्थित है-शब्द

' 'गुण' का उपयोग 's' के आधार पर बहुवचन अर्थात गुण 'के रूप में किया जाना चाहिए। 13 सामान्य खंड अधिनियम की अभिव्यक्ति 'का केवल एक हिस्सा

'सम्पत्ति' को विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में स्थित एक या अधिक संपत्तियों के हिस्से के रूप में पढ़ा जा सकता है और इसे विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में स्थित कई संपत्तियों के हिस्से के रूप में भी पढ़ा जा सकता है -

हालांकि, एक शर्त है कि मुकदमा विभिन्न अदालतों के अधिकार क्षेत्र में स्थित संपत्तियों के संबंध में कार्रवाई के एक ही कारण पर आधारित होना चाहिए-वर्तमान मामले में मुकदमे में तीन समूह शामिल थे -

दो क्षेत्राधिकारों में स्थित दो संपत्तियों के लिए प्रतिवादियों के प्रत्येक समूह के लिए कार्रवाई के अलग-अलग कारणों वाले प्रतिवादी-कार्रवाई के अलग-अलग कारणों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता था-मुंबई संपत्ति के संबंध में मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था-आदेश II, आर। 2 नहीं कर सकते

इस तरह से पढ़ा जाए कि विभिन्न कारणों के संयोजन की अनुमति दी जाए

एक मुकदमे में कार्रवाई-आदेश II का नियम 3 एक ही प्रतिवादी या प्रतिवादियों के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई के विभिन्न कारणों को जोड़ने की अनुमति देता है, जबकि वर्तमान मामले में मुकदमा प्रतिवादियों के विभिन्न समूहों के खिलाफ है।

-

इसलिए, प्रतिवादी सं. द्वारा दायर आवेदन। 7 और 8 को उचित रूप से अनुमति दी गई थी-सामान्य खंड अधिनियम। 13 .

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1.1 सी. पी. सी. की धारा 16 और 17 का हिस्सा हैं

एक वैधानिक योजना। धारा 16 में सामान्य सिद्धांत है कि जहां विषय-वस्तु स्थित है, वहां मुकदमे दायर किए जाने हैं, जबकि धारा 17 धारा 16 में होने वाले सामान्य नियम के अपवाद को शामिल करती है। [पैरा 28] [21-ई-एफ]

1.2 धारा 17 में आने वाला शब्द 'संपत्ति' हालांकि

'एकवचन' में उपयोग किया गया है, लेकिन सामान्य खंड अधिनियम की धारा 13 के आधार पर इसे 'बहुवचन' के रूप में भी पढ़ा जा सकता है, अर्थात,

" गुण "। धारा 17 को उस स्थिति में लागू किया जा सकता है जब कई गुण हैं, जिनमें से एक या अधिक विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हो सकते हैं।

न्यायालयों की अधिकारिता। धारा 17 में आने वाले "संपत्ति के हिस्से" शब्द को अधिक के संदर्भ में समझना होगा। एक से अधिक संपत्ति भी, जिसका अर्थ है कि कई संपत्तियों में से एक संपत्ति को धारा 17 में संपत्ति के हिस्से के रूप में माना जा सकता है। इस प्रकार, "संपत्ति के हिस्से" शब्द की व्याख्या को केवल सीमित रूप में नहीं समझा जा सकता है और

में स्थित एक संपत्ति का हिस्सा होने की प्रतिबंधात्मक भावना

दो न्यायालयों की अधिकारिता। संपत्ति के किसी भी हिस्से को विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में स्थित एक या अधिक संपत्तियों के हिस्से के रूप में पढ़ा जा सकता है और इसे हिस्से के रूप में भी पढ़ा जा सकता है।

विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में स्थित कई संपत्तियों की। [पैरा 11,28 (i) और 28 (ii)] [13-सी-डी, 21-एफ-जी]

1.3 अचल संपत्ति या संपत्तियों के संबंध में एक मुकदमा

विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय में स्थापित किया जा सकता है जिसकी अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर, संपत्ति का कोई भी हिस्सा या एक या एक से अधिक संपत्तियां स्थित हो सकती हैं। एक सूट में

के अधिकार क्षेत्र में स्थित एक से अधिक संपत्ति के संबंध में विभिन्न न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर एक अदालत में स्थापित किया जा सकता है जहां एक या अधिक संपत्तियां स्थित हैं बशर्ते कि शिवनारायण (डी) एल. आर. एस. द्वारा।

वी. मानिकलाल (डी) टीएचआर। एलआरएस।

मुकदमा विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में स्थित संपत्तियों के संबंध में कार्रवाई के एक ही कारण पर आधारित है। [पैरा 28 (iii) और 28 (iv)] [21-एच, 22-ए-बी]

1.4 सी. पी. सी. की धारा 39 द्वारा वर्णित योजना इंगित करती है कि न्यायालय के आदेश में उस न्यायालय की स्थानीय सीमाओं में स्थित अचल संपत्ति के साथ-साथ स्थित संपत्ति भी शामिल हो सकती है।

पारित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के बाहर

आदेश को। धारा 39 (1) (सी) इस निष्कर्ष को फिर से लागू करती है कि धारा 17 के अनुसार, न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमा के बाहर स्थित अचल संपत्ति के संबंध में मुकदमा दायर किया जा सकता है। हालांकि, अचल संपत्ति के संबंध में एक अदालत द्वारा एक डिक्री पारित करना अदालत के स्थानीय अधिकार क्षेत्र के बाहर स्थित है। डिक्री पारित करना न केवल धारा 17 तक सीमित हो सकता है, बल्कि ऐसी अन्य परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं जहाँ ऐसी डिक्री पारित की जाती है। सी. पी. सी. की धारा 20 उन परिस्थितियों में से एक हो सकती है जहाँ

उस प्रतिवादी के खिलाफ डिक्री पारित की जा सकती है जिसकी संपत्ति एक से अधिक न्यायालयों की स्थानीय सीमाओं के स्थानीय अधिकार क्षेत्र में स्थित हो सकती है। [पैरा 23] [20-ए-सी] 1.5 धारा 17 में 'किसी भी न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है' शब्दों का उपयोग किया गया है। धारा 17 में शब्द का उपयोग इसे अनुमेय बनाता है।

कुछ मामलों में एक से अधिक न्यायालयों के स्थानीय अधिकार क्षेत्र में स्थित अचल संपत्ति के संबंध में एक मुकदमा दायर नहीं करने का विवेकाधिकार छोड़ते हुए। नियम के अपवादों में से एक आंशिक विभाजन का मामला है जहां पक्ष कुछ संपत्ति को संयुक्त रखने और कुछ संपत्तियों का विभाजन प्राप्त करने के लिए सहमत होते हैं। [पैरा 24] [20-डी-ई]

नीलकंठ बलवंत नाटू और अन्य बनाम। विद्या नरसिंह भारती स्वामी और अन्य AIR 1930 PC 188; नृसिंह चरण नंदी चौधरी बनाम। रजनीति प्रसाद सिंह और अन्य ने ए. आई. आर. 1936 पी. सी. 189 पर भरोसा किया।

राजेन्द्र कुमार बोस बनाम। ब्रजेंद्र कुमार बोस ए. आई. आर. 1923 कलकत्ता 501; कुब्रा जान बनाम। राम बाली और अन्य (1908) आई. एल. आर. 30 सभी। 560 ; रामदीन और अन्य बनाम। ठाकुरन दुलैया और अन्य आकाशवाणी 1952 नाग। 303 (पूर्ण पीठ); बसंत प्रिया देई और एक अन्य बनाम। रामकृष्ण दास और अन्य ए. आई. आर 1960 ओ. आर. 159 ; लक्ष्मीबाई बनाम।

ए. आई. आर. 1968 में माधनकर विनायक कुलकर्णी और अन्य कांत। 82 ; प्रेम कुमार और अन्य बनाम। धरम पाल सहगल और अन्य 1972 ए. आई. आर दिल्ली 90; जानकी देवी बनाम। ए. आई. आर. 1975 में मणिलाल और अन्य सभी। 91 ; सरदार निसार अली खान बनाम

9] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मोहम्मद अली खान ए. आई. आर. 1932 पी. सी. 172; करण सिंह और अन्य बनाम। कुंवर सेन और अन्य ए. आई. आर. 1942 सभी। 387 ; श्रीमती. जानकी देवी बनाम। मन्नी लाल और अन्य आकाशवाणी 1975

सभी। 91 - संदर्भित किया गया।

10. 21.10.1986,21.11.1988 और 20.08.1993 दिनांकित हस्तांतरण दस्तावेज इंदौर की संपत्ति से संबंधित हैं। शिकायत प्रतिवादी के विभिन्न समूह के साथ कार्रवाई के विभिन्न कारणों को शामिल करता है। इंदौर की संपत्ति और बॉम्बे की संपत्ति से संबंधित कार्रवाई का कारण अलग-अलग प्रतिवादियों के साथ पूरी तरह से अलग था। इंदौर की संपत्ति के लिए वादी द्वारा दायर किया गया मुकदमा

साथ ही बॉम्बे की संपत्ति कार्रवाई के विभिन्न कारणों पर आधारित थी और इसे एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता था। बॉम्बे संपत्ति के संबंध में बनाया गया मुकदमा स्पष्ट रूप से इंदौर अदालतों में बनाए रखने योग्य नहीं था। निचली अदालत ने बॉम्बे की संपत्ति से संबंधित दलीलों और राहत को खारिज करने में कोई गलती नहीं की। [पैरा 29] [22-सी-एफ]

2.2 आदेश II नियम 2 उपखंड (1) के अनुसार कार्रवाई का कारण कार्रवाई का एक कारण है। आदेश II द्वारा क्या आवश्यक है

नियम 2 उपखंड (1) यह है कि प्रत्येक वाद में कार्रवाई के कारण के आधार पर पूरा दावा शामिल होगा। आदेश II नियम 2 को इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है कि किसी मुकदमे में कार्रवाई के विभिन्न कारणों को जोड़ने की अनुमति दी जाए। आदेश II नियम 3 के उपखंड (1) के अवलोकन में यह प्रावधान है कि वादी एक ही वाद में एक ही प्रतिवादी या एक ही प्रतिवादी के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई के कई कारणों को एकजुट कर सकता है। अनुमेय बात यह है कि एक ही वाद में एक ही प्रतिवादी के खिलाफ कार्रवाई के कई कारण, या एक ही

प्रतिवादी संयुक्त रूप से। वर्तमान मामले में मुकदमा एक ही प्रतिवादी या एक ही प्रतिवादी के खिलाफ संयुक्त रूप से नहीं है। प्रतिवादियों के अलग-अलग समूह हैं जिनके कार्यों के अलग-अलग कारण हैं। [पैरा 30] [22-जी-एच, 23-ए-बी] शिवनारायण (डी) एलआरएस द्वारा।

वी. मानिकलाल (डी) टीएचआर। एलआरएस।

2.3 प्रतिवादी सं. द्वारा दायर आवेदन में। 7 और 8, द

आवेदन के शीर्षक में ही "पक्षकारों की गलती और कार्रवाई के कारण" का उल्लेख किया गया है। आवेदन में, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि पक्षों और कारणों की गलत जानकारी थी कार्रवाई। निचली अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि वादी ने कार्रवाई के विभिन्न कारणों को जोड़ा है जिन्हें वर्तमान मुकदमे से हटा दिया जाना है। निचली अदालत ने आगे कहा कि वादी विभिन्न संपत्तियों और एकल मुकदमे में संयुक्त कार्रवाई के अलग-अलग कारणों को शामिल करने में उचित नहीं है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या। 7 और 8 ने अपने आवेदन में कार्रवाई के कारण पर सवाल नहीं उठाया था। [पैरा 31,32] [23-सी-ई]

2.4 निचली अदालत ने दायर आवेदन को सही माना है।

प्रतिवादी Nos.7 और 8 द्वारा। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करने में कोई गलती नहीं की। [पैरा 33] [23-ई-एफ]

मामला कानून संदर्भ

उस पर भरोसा करें

आकाशवाणी 1930 पी. सी. 188

पैरा 12

उस पर भरोसा करें

आकाशवाणी 1936 पी. सी. 189

पैरा 12

ए. आई. आर. 1923 कलकत्ता 501

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

(1908) आई. एल. आर. 30 सभी। 560

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

ए. आई. आर 1952 नाग। 303 (पूर्ण बेंच)

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

ए. आई. आर 1960 ओ. आर. 159

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर. 1968 कांत। 82

पैरा 15

आकाशवाणी 1972 दिल्ली 90

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

ए. आई. आर. 1975 ऑल। 91

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

ए. आई. आर 1932 पी. सी. 172 एयर 1942 ऑल। 387

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर. 1975 ऑल। 91

पैरा 15

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1052

2019 से।

उच्च न्यायालय के 13.11.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2011 की रिट याचिका संख्या 7535 में इंदौर में मध्य प्रदेश पीठ की।

9] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विनय नवारे, सुश्री ग्वेन कार्तिका, सुश्री आभा आर. शर्मा, अधिवक्ता।

अपीलार्थियों के लिए।

चिनमॉय खलादकर, सुश्री नेहा शर्मा, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था अशोक भूषण, जे।

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा फैसले के खिलाफ दायर की गई है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय दिनांक 13.11.2013, जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा 2010 के सिविल सूट No.60-ए में इंदौर के तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के दिनांक 17.08.2011 के आदेश को चुनौती देने वाली निर्णय रिट याचिका को रिट याचिका को खारिज करते हुए बरकरार रखा गया है।

2. इस पर निर्णय लेने के लिए मामले के संक्षिप्त तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है।

अपील इस प्रकार हैः

2.1

अपीलार्थी ने इससे पहले 2010 का सिविल मुकदमा No.60-A दायर किया था।

जिला न्यायाधीश विभिन्न स्थानांतरण घोषित करने के लिए प्रार्थना कर रहा है

वाद संपत्ति के संबंध में अमान्य दस्तावेज

अभियोग के पैरा सं. 1 ए और पैरा No.1B में उल्लिखित है।

वादी ने ऐसी घोषणा के लिए भी प्रार्थना की जो संपत्तियों के अनुरूप हो। पैरा संख्या में उल्लिखित है। 1 ए और 1 बी संयुक्त परिवार हैं।

वादी और प्रतिवादी की संपत्ति सं। 1 3 और

वादी मुकदमे का एक तिहाई हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है। संपत्ति। एक लेफ्टिनेंट श्रीमती द्वारा निष्पादित एक वसीयत। विमल वैद्य

इसे अमान्य घोषित करने की भी मांग की गई थी। मुकदमे में कुछ अन्य राहतों का दावा किया गया था। द.

पक्षकारों को मुकदमे में वर्णित के रूप में संदर्भित किया जाएगा। द.

वादी ने वाद के पैरा सं. 2 में निम्नलिखित निर्धारित किया हैः दलों की वंशावलीः

" कालूराम बैरुलाल वैद्य

(चूंकि मृतक डी. टी. 15/08/1969)

शंकरलाल

बाबूलाल

मानिकलाल

शिवनारायण

(4/11/75)

(डीएफटी। नंबर 1)

(वादी)

(20/04/98)

(मृत)

(मृत)

|

विमल

लीलबाई

सुशीलाबेन

(25.11.2007)

(मृतक की पत्नी) "

डेफ. नं. 3

डेफ.

सं. 2 एल. आर. एस. द्वारा यैन (डी)। वी. मानिकलाल (डी) टीएचआर। एलआरएस।

[अशोक भूषण, जे।]

अभियोग के पैरा सं. 1 में, का विवरण सम्पत्ति का उल्लेख निम्नलिखित प्रभाव से किया गया थाः

ए) प्लॉट नं। एस. पी. 79, सुदामा नगर इंदौर (एम. पी.) आकार 30 फीट। एक्स 50 फीट। क्षेत्र 1500 वर्ग कि. मी. एफ. टी. सदस्यता के माध्यम से

नहीं। 2905 शिक्षक कल्याण समिति, सुदामा नगर, इंदौर।

ख) बम्बई उपनगरीय जिला सं. 341, पं. बांद्रा ग्रांट फ्लैट सं. 1/3, साहित्य साहब को-ऑप। आवास

सोसायटी, दूसरी मंजिल, इमारत जिसे "अभंग" बांद्रा (ई) के नाम से जाना जाता है, मुंबई 400 051 नं. सी. टी. एस. सं. 629, (अनु. सं. 341-A.B.S.D)

मधुसूदन कालेकर मार्ग, गांधीनगर, बांद्रा (पूर्व) मुंबई-51।

वादी ने दो संपत्तियों के संबंध में राहत मांगी

(इसके बाद इंदौर संपत्ति के रूप में संदर्भित, इंदौर, मध्य प्रदेश राज्य और मुंबई संपत्ति में स्थित है

मुंबई, महाराष्ट्र राज्य में स्थित)। वादी का

शिकायत में मामला यह था कि इंदौर की संपत्ति थी

वर्ष 1968-1969 में वादी के पिता द्वारा खरीदा गया।

वादी के पिता की मृत्यु 15.08.1969 पर हुई। इसके बाद इंदौर।

संपत्ति वादी की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति थी और

प्रतिवादी सं। 1 3 तक। वादी के भाई बाबूलाल का तबादला

असाधारण व्यक्तियों के लिए एक सरकारी योजना जैसे लेखक और शिक्षाविद्। 1975 में बाबूलाल की मृत्यु हो गई।

इसके बाद, मुंबई की संपत्ति, के आधार पर

सिविल न्यायाधीश न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र

(वरिष्ठ प्रभाग), पुणे बाबुलाल की विधवा श्रीमती के नाम पर आया। विमल वैद्य। श्रीमती. विमल वैद्य

मुंबई के फ्लैट को दिनांकित बिक्री विलेख द्वारा हस्तांतरित किया गया

15.10.2007 प्रतिवादी संख्या के पक्ष में। 7 और 8. शिकायत में आगे यह दलील दी गई थी कि श्रीमती। विमल वैद्य ने इंदौर संपत्ति के साथ भी काम किया। श्रीमती का नाम। विमल वैद्य को 1986 में इंदौर में उत्परिवर्तित किया गया था।

संपत्ति और उसके बाद उन्होंने इंदौर का हस्तांतरण किया। प्रतिवादी सं. के पक्ष में संपत्ति। 9 और 10. दलीलों का एक समूह वर्ष 2000 में श्रीमती द्वारा निष्पादित एक वसीयत के संबंध में था। प्रतिवादी के पक्ष में विमल वैद्य

नं. 4 6 तक। उपरोक्त अभिवचनों पर, निम्नलिखित राहतें शिकायत के पैरा सं. 25 में प्रार्थना की गई थीः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" (क) वाद के पैरा सं. 1 में उल्लिखित संपत्ति और

उसके हस्तांतरण दस्तावेजों के विलेख को अमान्य घोषित किया जाए जो वादी की ओर से बाध्यकारी नहीं है। अभियोग के पैरा No.1B में उल्लिखित संपत्ति और

बी)

हस्तांतरण के लिए अपने पंजीकृत विलेख से संबंधित दस्तावेज़ को अमान्य घोषित किया जाना चाहिए और जो इस पर बाध्यकारी नहीं है

वादी का हिस्सा।

अनुच्छेद संख्या 1 ए और 1 बी में उल्लिखित संपत्ति

सी)

शिकायत वादी की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति है और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को संयुक्त पारिवारिक संपत्ति घोषित किया जाए और वादी को वाद संपत्ति का एक तिहाई हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार दिया जाए।

डी)

का विभाजन करने के लिए न्यायालय आयुक्त नियुक्त किया जाए

मुकदमा संपत्ति और 1/3 भाग का अधिकार दिया जाए

वादी।

मुक़दमे की सुनवाई के दौरान निषेधाज्ञा आदेश पारित किया जाए

ई)

संपत्ति के संबंध में तीसरे पक्ष के हित का सृजन न करने के लिए

अभियुक्तों द्वारा।

वादी के मुकदमे को खर्चों के साथ घोषित किया जाना चाहिए।

एफ)

कोई अन्य राहत प्रदान करने के लिए जो यह माननीय न्यायालय दे सकता है।

जी)

न्याय के हित में उपयुक्त बनें।

जाली वसीयत को स्वर्गीय विमल वैद्य द्वारा निष्पादित किया जाएगा

एच)

प्रतिवादी संख्या 4 और उसके सहयोगियों के रिश्तेदारों प्रतिवादी संख्या 5 और 6 और खेर परिवार के अन्य रिश्तेदारों का प्रभाव। क्योंकि, स्वर्गीय बाबूलाल वैद्य अविभाजित हिंदू परिवार के सदस्य थे। इसलिए, देर से। विमल वैद्य कानून के अनुसार उस कथित वसीयत को निष्पादित करने के लिए अधिकृत नहीं थे। इसलिए, पंजीकृत कथित को अमान्य घोषित किया जाएगा और घोषित किया जाएगा कि यह वादी की ओर से बाध्यकारी नहीं है।

4 प्रतिवादी सं। 7 और 8 मुकदमे में पेश हुए और एक दायर किया

"हड़ताल करने के लिए आवेदन" शीर्षक के साथ आवेदन

प्रतिवादियों संख्या 7 और 8 के खिलाफ वाद और खारिज करना इसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव और पक्षों और कार्रवाई के कारणों को गलत तरीके से शामिल करने के लिए। प्रतिवादी सं। 7 और 8 ने तर्क दिया कि संपत्ति बांद्रा पूर्व, मुंबई में स्थित होने के कारण, इंदौर के न्यायालय के पास कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह आगे था प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया गया कि मुकदमा घातक रूप से पीड़ित है

पक्षकारों के साथ-साथ कार्रवाई के कारणों को गलत ठहराना। द.

प्रतिवादी सं। 7 और 8 ने दलील दी कि एल. आर. एस. द्वारा आर्यन (डी) में कोई सांठगांठ नहीं है।

वी. मानिकलाल (डी) टीएचआर। एलआरएस।

[अशोक भूषण, जे।]

बिक्री लेनदेन को आवेदन के पैरा संख्या 6 में विस्तार से समझाया गया है। यह आगे दलील दी गई कि मुंबई संपत्ति किसी भी हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति नहीं है। मुंबई की संपत्ति का अधिग्रहण बाबूलाल ने अपने नाम से किया था और उत्तराधिकार के आधार पर उनकी मृत्यु के बाद, उन्होंने तर्क दिया कि मुंबई की संपत्ति के लिए कार्रवाई का कोई भी हिस्सा इंदौर में नहीं हुआ था। आवेदन में, प्रतिवादी Nos.7 और 8 द्वारा निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की गई है:

" (क) मुंबई में स्थित संपत्ति से संबंधित सभी अभिवचनों और राहत खंडों को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 16 के तहत इस माननीय न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इसके परिणामस्वरूप, कृपया वाद से हटाने का आदेश दिया जा सकता है।

प्रतिवादी संख्या 7 और 8 के खिलाफ मुकदमा कृपया उत्तरदाता प्रतिवादियों के लिए लागत के साथ खारिज किया जा सकता है; जबकि इंदौर संपत्ति से संबंधित मुकदमा जारी रखा जा सकता है यदि अन्यथा के तहत बनाए रखा जा सकता है कानून;

या वैकल्पिक रूप से,

मुंबई में संपत्ति से संबंधित मुकदमे के हिस्से पर विचार करने से इनकार करते हुए कृपया एक आदेश पारित किया जा सकता है।

उत्तर देने वाले प्रतिवादियों के लिए लागत के साथ; और

(ख) ऐसा अन्य आदेश कृपया पारित किया जा सकता है जो

मामले की परिस्थितियों में उचित समझा गया।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर दिनांकित 19.03.2011 आवेदन पर पक्षकारों को सुनने के बाद निचली अदालत। 7 और 8 ने एक आदेश पारित किया जिसमें 17.08.2011 ने आवेदन की अनुमति दी। पैरा नं. 1 बी में उल्लिखित संपत्ति को हटाने का आदेश पारित किया गया था।

शिकायत और उक्त संपत्ति के संबंध में मांगी गई राहत। निचली अदालत ने कहा कि कार्रवाई के अलग-अलग कारणों को एक ही मुकदमे में नहीं जोड़ा जा सकता है। निचली अदालत के आदेश से व्यथित होकर, उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसे भी उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश की पुष्टि करते हुए अपने दिनांक 13.11.2013 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने [2019] 2 एस. सी. आर. की धारा 17 का उल्लेख किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ने अभिनिर्धारित किया कि मुंबई में स्थित संपत्ति के लिए, निचली अदालत ने प्रतिवादी संख्या द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की। 7 और 8. उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित वादी अपीलार्थी आ गया है

इस अपील में।

3. हमने अपीलार्थी के लिए श्री विनय नवारे को सुना है।

श्री चिनमॉय खलादकर प्रतिवादी संख्या की ओर से पेश हुए हैं। 7 और 8.

4. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 17 की सही व्याख्या नहीं की। द.

मुंबई और इंदौर की संपत्तियों के संबंध में अपीलार्थी द्वारा दायर विभाजन मुकदमा पूरी तरह से रखरखाव योग्य था। वह प्रस्तुत करता है कि आदेश II का नियम 2 सी. पी. सी. आदेश देता है कि वादी को मुकदमे में कार्रवाई के कारण के संबंध में पूरे दावे को शामिल करना चाहिए। वादी द्वारा दावा की गई कार्रवाई का कारण संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में वादी के हिस्से के अधिकार से इनकार करना था। धारा 17 की प्रतिबंधात्मक व्याख्या हिंसा करेगी

आदेश II नियम 2 का अधिदेश। स्वयं सी. पी. सी. की धारा 39 (1) (सी)

इस बात पर विचार करें कि एक अचल संपत्ति की डिक्री हो सकती है, जो अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के बाहर स्थित है। धारा 17 में प्रयुक्त "अचल संपत्ति" शब्दों की व्याख्या सामान्य खंड अधिनियम की धारा 13 को लागू करके की जानी चाहिए। यह प्रावधान करता है कि सभी केंद्रीय अधिनियमों और विनियमों में, जब तक कि संदर्भ और विषय अन्यथा आवश्यक न हो, "किसी भी एकवचन शब्द में बहुवचन शामिल होगा"। इस स्थिति में, यह स्वीकार किया जाता है कि विभिन्न क्षेत्राधिकारों में स्थित अलग-अलग संपत्तियों के संबंध में, अलग-अलग मुकदमे दायर किए जाने चाहिए जिनके परिणामस्वरूप विभिन्न न्यायालयों के परस्पर विरोधी निष्कर्ष निकलेंगे और इसमें न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांत शामिल होंगे।

5. प्रतिवादी सं. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील। 7 और 8 अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों का खंडन करते हुए तर्क दिया जाता है कि नहीं

अभियोग में पैरा No.1B पर संपत्ति को हटाने के साथ-साथ उक्त संपत्ति के संबंध में दलीलें और राहत देने में निचली अदालत द्वारा त्रुटि की गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. पी. सी. की धारा 17 विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में स्थित अचल संपत्ति के संबंध में केवल तभी मुकदमा दायर करने पर विचार करती है जब संपत्ति का कोई भी हिस्सा अदालत के अधिकार क्षेत्र में स्थित हो, जहां मुकदमा दायर किया जाना हो। "संपत्ति का कोई भी हिस्सा" शब्द इंगित करता है कि संपत्ति वह होनी चाहिए जिसके अलग-अलग हिस्से दो या दो से अधिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में स्थित हो सकते हैं। वह आगे प्रस्तुत करता है कि इंदौर में स्थित संपत्ति और मुंबई में स्थित संपत्ति के संबंध में कार्रवाई का कोई सामान्य कारण नहीं है। इंदौर संपत्ति के संबंध में हस्तांतरण विलेख के साथ-साथ मुंबई संपत्ति के हस्तांतरण विलेख अलग-अलग हैं। दोनों संपत्तियों के खरीदार, यानी इंदौर की संपत्ति

और मुंबई की संपत्ति भी अलग है। एल. आर. एस. द्वारा शिवनारायण (डी) में दलीलों के अनुसार।

वी. मानिकलाल (डी) टीएचआर। एलआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

स्वयं शिकायत करते हुए, मुंबई की संपत्ति श्रीमती के पति बाबूलाल द्वारा खरीदी गई थी। विमला वैद्य अपने नाम से, जिसे वर्ष 1975 में बाबूलाल की मृत्यु के बाद श्रीमती के नाम से परिवर्तित किया गया था। विमला वैद्य। वादी ने कार्रवाई के विभिन्न कारणों को एक मुकदमे में जोड़ने की मांग की है। मुक़दमे में पक्षकारों की भी गलती है क्योंकि अलग-अलग लेन-देन से संबंधित प्रतिवादियों को एक मुक़दमे में शामिल किया गया है जबकि संपत्तियों, लेन-देन और व्यक्तियों के साथ कोई सांठगांठ नहीं है। प्रतिवादी संख्या के लिए सीखा हुआ वकील। 7 और 8 प्रस्तुत करता है कि सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), पुणे के न्यायालय के आदेश से, संपत्ति पहले से ही वर्ष 1975 में श्रीमती के नाम पर परिवर्तित हो चुकी है। विमला वैद्य अपने पति की मृत्यु के बाद, जिसे उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या को उचित रूप से हस्तांतरित कर दिया गया था। 7 और 8 15.10.2007 पर। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इंदौर की अदालत इंदौर की संपत्ति से संबंधित प्रतिवादियों के साथ आगे बढ़ सकती है, जो इंदौर की संपत्ति से संबंधित हैं, लेकिन मुंबई की संपत्ति से संबंधित मुकदमे, उससे संबंधित लेनदेन और मुंबई की संपत्ति से संबंधित प्रतिवादियों को मामले से उचित रूप से हटा दिया गया है। 6. इससे पहले कि हम पक्षों के लिए विद्वान वकील की दलीलों पर विचार करें, सिविल प्रक्रिया संहिता में निहित मुकदमा करने के स्थान से संबंधित प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। धारा 15 से धारा 20 में एक शीर्षक "मुकदमा करने का स्थान" है। धारा 16 में प्रावधान है कि जहां विषय-वस्तु स्थित हो, वहां वाद स्थापित किए जाएं। धारा 16 इस प्रकार हैः

16. जहाँ विषय-वस्तु हो वहाँ सूट स्थापित किए जाएँगे स्थिति। आर्थिक या अन्य सीमाओं के अधीन

किसी भी कानून, मुकदमे द्वारा निर्धारित

(क) के साथ अचल संपत्ति की वसूली के लिए या

बिना किराया या लाभ के,

(बी) अचल संपत्ति के विभाजन के लिए, (सी) अचल संपत्ति पर शुल्क के लिए बंधक के मामले में फोरक्लोजर, बिक्री या मोचन के लिए, (डी) किसी अन्य अधिकार के निर्धारण के लिए या

अचल संपत्ति में ब्याज,

(ई) अचल संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजे के लिए, (च) वास्तव में निरोध या कुर्की के तहत चल संपत्ति की वसूली के लिए, अदालत में स्थापित किया जाएगा जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर

अधिकार क्षेत्र में संपत्ति स्थित हैः

बशर्ते कि राहत प्राप्त करने के लिए एक मुकदमा, या

प्रतिवादी द्वारा या उसकी ओर से रखी गई अचल संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति, जहां मांगी गई राहत पूरी तरह से [2019] 2 एस. सी. आर. हो सकती है।

उसकी व्यक्तिगत आज्ञाकारिता के माध्यम से प्राप्त, या तो उस न्यायालय में स्थापित किया जाए जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति है

न्यायालय में स्थित, या जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है, या आगे बढ़ता है

व्यवसाय, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है।

स्पष्टीकरण। इस धारा में "संपत्ति" का अर्थ है संपत्ति।

भारत में स्थित है।

7. धारा 17, जो वर्तमान मामले में विचार के लिए आती है, के अधिकार क्षेत्र में स्थित अचल संपत्ति के मुकदमों से संबंधित है -

विभिन्न अदालतें इस प्रकार हैं:

17. अचल संपत्ति के लिए मुकदमे अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित हैं।

विभिन्न न्यायालयों से। जहाँ एक सूट राहत पाने के लिए है

अचल का सम्मान करना, या गलत के लिए क्षतिपूर्ति करना

विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित संपत्ति, मुकदमा उस स्थानीय सीमा के भीतर किसी भी न्यायालय में स्थापित किया जा सकता है जिसकी अधिकारिता के अंतर्गत संपत्ति का कोई भी हिस्सा स्थित है:

बशर्ते कि वाद की विषय वस्तु के मूल्य के संबंध में, पूरा दावा ऐसे न्यायालय द्वारा संज्ञेय हो।

9. अब, हम धारा 17 पर गौर करते हैं, जो विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में स्थित अचल संपत्ति के मुकदमों से संबंधित है। धारा 17 के अनुसार, मुकदमा स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी भी न्यायालय में दायर किया जा सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति का कोई भी हिस्सा स्थित है। "संपत्ति का कोई भी हिस्सा" शब्द का क्या अर्थ है? एक तथ्य स्थिति हो सकती है जहां अचल संपत्ति भूमि का एक बड़ा हिस्सा है, जो दो न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आती है, जिसमें अदालत में तथ्य स्थिति जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति का कोई भी हिस्सा स्थित है, मुकदमे को स्वीकार कर सकती है। क्या धारा 17 केवल तभी लागू होती है जब एक समग्र दो न्यायालयों या धारा 17 के अधिकार क्षेत्र में फैली संपत्ति किसी भी व्यापक स्थिति पर विचार करती है। अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों में से एक यह है कि धारा 17 में आने वाले शब्द "संपत्ति" में सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 13 के अनुसार बहुवचन भी शामिल होगा। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 13 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

शिवनारायण (डी) एलआरएस द्वारा। वी. मानिकलाल (डी) टीएचआर। एलआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

13. लिंग और संख्या। - सभी केंद्रीय अधिनियमों और विनियमों में, जब तक कि विषय में कुछ भी अप्रिय न हो या

संदर्भ।

(1) मर्दाना लिंग को आयात करने वाले शब्द होंगे

महिलाओं को शामिल करने के लिए लिया गया; और

(2) एकवचन में शब्दों में बहुवचन शामिल होगा,

और इसके विपरीत।

10. सामान्य खंड अधिनियम की धारा 13 को लागू करते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने धारा 17 में उपयोग किए गए "संपत्ति" शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि

इसमें संपत्तियां शामिल हैं। हमारा भी यही विचार है कि धारा 17 में प्रयुक्त "संपत्ति" शब्द एक से अधिक संपत्ति या संपत्ति हो सकती है।

11. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 17 के तहत "संपत्ति" शब्द भी संपत्ति हो सकता है, इसलिए, शिकायत की अनुसूची में, एक से अधिक संपत्ति को शामिल किया जा सकता है। धारा 17 को कई संपत्तियों की स्थिति में लागू किया जा सकता है, जिनमें से एक या अधिक अदालतों के विभिन्न अधिकार क्षेत्र में स्थित हो सकती हैं। धारा 17 में आने वाले "संपत्ति के हिस्से" शब्द को एक से अधिक संपत्ति के संदर्भ में समझना होगा।

साथ ही, जिसका अर्थ है कि कई संपत्तियों में से एक संपत्ति को धारा 17 में संपत्ति के हिस्से के रूप में माना जा सकता है। इस प्रकार, "संपत्ति के हिस्से" शब्द की व्याख्या को केवल एक सीमित और प्रतिबंधात्मक अर्थ में नहीं समझा जा सकता है कि यह किसी एक संपत्ति का हिस्सा है।

दो न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में।

12. अब हम सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 17 के संदर्भ में विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों पर विचार करते हैं। कैसे शब्द "संपत्ति" और " धारा 17 में आने वाली संपत्ति के हिस्से को विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा समझा गया है। प्रिवी काउंसिल के कुछ फैसले हैं

जिनमें से वादी द्वारा राहत मांगी गई थी, वे सतारा, बेलगाम और कोल्हापुर में स्थित थे। हालांकि सतारा और बेलगाम अंग्रेजों में स्थित थे। भारत नहीं बल्कि कोल्हापुर था। प्रिवी काउंसिल ने निम्नलिखित धारा 17 और 16 (सी) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कहाः

" विद्वान न्यायाधीश के पास मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र था जहां तक यह सतारा में स्थित बंधक संपत्तियों से संबंधित है और चूंकि बेलगाम में बंधक संपत्तियां ब्रिटिश भारत में एक अलग न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हैं, इसलिए उनके पास अधिकार क्षेत्र था।

उन संपत्तियों से भी निपटने के लिए। "[2019] 2 एस. सी. आर.

13. इस प्रकार, प्रिवी काउंसिल ने अभिनिर्धारित किया कि सतारा और बेलगाम में स्थित संपत्ति के संबंध में मुकदमे पर विचार करने का अधिकार सतारा न्यायालय के पास है। जबकि इसके पास कोल्हापुर से संबंधित मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जो ब्रिटिश भारत में नहीं था। प्रिवी काउंसिल के एक अन्य मामले में, नृसिंह चरण नंदी चौधरी बनाम रजनीती प्रसाद सिंह और

अन्य, ए. आई. आर. 1936 पी. सी. 189, बंधक भूमि बिहार राज्य के सोनथल परगना और बिहार राज्य के गया जिले में भी थी। पैराग्राफ 9 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

> " 9. अब, बंधक विलेखों में शामिल हैं, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है,
>
> न केवल सोनथल परगना में स्थित भूमि, बल्कि
>
> गया जिले में। सामान्य नियम किस लिए है?
>
> न्यायालय का निर्धारण करना जो किसी मुकदमे का संज्ञान ले सकता है
>
> की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित अचल संपत्ति के लिए दो या अधिक न्यायाधिकरण? जवाब अनुभाग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है
>
> 17 सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम 5), जो
>
> यह प्रावधान करता है कि जहां एक मुकदमा राहत प्राप्त करने के लिए है अचल संपत्ति विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, मुकदमा स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी भी अदालत में स्थापित किया जा सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति का कोई भी हिस्सा स्थित है।

14. विभिन्न उच्च न्यायालयों ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 17 की व्याख्या करते हुए यह भी निर्धारित किया है कि मामले में धारा 17 लागू होती है।

जहाँ सम्पत्तियाँ एक से अधिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में स्थित हों। राजेन्द्र कुमार बोस बनाम ब्रजेन्द्र कुमार बोस, ए. आई. आर. 1923 कलकत्ता 501, कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> " इस नियम के अपवाद कि एक विभाजन के लिए एक मुकदमा नहीं हो सकता है
>
> पारिवारिक संपत्ति के हिस्से को मान्यता दी गई है जब
>
> पारिवारिक संपत्ति के अलग-अलग हिस्से अलग-अलग क्षेत्रों में स्थित हैं।
>
> न्यायक्षेत्र, अलग-अलग भागों के लिए अलग-अलग मुकदमों की सहायता करते हैं

कभी-कभी अनुमति दी जाती है, जहां अलग-अलग न्यायालयों में मूल या विशेषण कानून के अलग-अलग नियम प्रचलित होते हैं; हरि v. गणपत राव, (1883) 7 बम। 272 ; रामाचारिया बनाम। अनंतचारिया, (1894) 18 बम। 389 ; मोती राम बनाम। कन्हैयालाल, ए. आई. आर. 1920 लाह।

474 ; पंचानन बनाम। सिबचंद्र, (1887) 14 कल। 835 ; बलराम बनाम। रामचंद्र, (1898) 22 बम। 922 ; अब्दुल वी। बदरूद्दीन, (1905) 28 मैड। 216 ; पद्मिनी बनाम। जगदम्बा, (1871) 6 बी. एल. आर. 134;

राममोहन बनाम। मूलचंद, (1906) 28 सभी। 39 ; लच्मना बनाम। तेरिमुल, 4 पागल। जुर। 241 ; सुब्बा वी। राम, (1866-67) 3 पागल। एच. सी. आर. 76;

जयराम बनाम. आत्माराम, (1879) 4 बम।

482 ; " / नारायण (डी) एलआरएस द्वारा। वी. मानिकलाल (डी) टीएचआर। एलआरएस। [अशोक भूषण, जे।]15. कुबरा जान बनाम बाली और अन्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ, (1908) आई. एल. आर. 30 सभी। 560 दो अलग-अलग जिलों में स्थित बारा बांकी संपत्ति के रूप में बरेली की संपत्ति के संबंध में बरेली में मुकदमा दायर किया गया था। बरेली न्यायालय में अनुच्छेद संख्या में इस कथन को बरकरार रखा गया था। 1 और 8, में

इसे इस प्रकार निर्धारित किया गया थाः

" 1. अपील में उठाए गए एक प्रश्न पर अधिकारियों में टकराव के कारण यह अपील पूर्ण पीठ के समक्ष रखी गई है। सूट बरामद करने के लिए एक बांदे अली की बेटी द्वारा एक है

बरेली और अवध में बड़ा बांकी जिले में भी। ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर हुसैन ने बरेली की संपत्ति को स्थानांतरित कर दिया था। प्रतिवादी सं। 2 8 तक और बारा बांकी संपत्ति उन व्यक्तियों को, जिनसे प्रतिवादी प्रतिवादी राम बाली ने इसे अर्जित किया था।

पूर्व-प्रवर्तन के लिए एक डिक्री का गुण। बरेली संपत्ति के संबंध में मुकदमे से समझौता किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उस संपत्ति के संबंध में दावा छोड़ दिया गया था, और मुकदमा केवल बारा बांकी संपत्ति के संबंध में कार्यवाही की गई।

8. पुनः, यह कहा जाता है कि बरेली की संपत्ति के संबंध में समझौते के बाद अदालत के पास वादी के दावे से निपटने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं रह गया, अर्थात, हालाँकि बरेली अदालत के पास वाद से निपटने के लिए खराब अधिकार क्षेत्र था, जब शिकायत दायर की गई थी, तब संपत्ति के हिस्से के होने पर उसका अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया। दावा किया गया मुकदमे से वापस ले लिया गया था। ' यह मुझे लगता है कि एक बार अधिकार क्षेत्र एक अदालत में निहित है, एक के अभाव में

इसके विपरीत कानून का प्रावधान, उस अधिकार क्षेत्र को पक्षों के किसी भी कार्य द्वारा नहीं लिया जाएगा। यहाँ कोई आरोप नहीं है कि अचल संपत्ति की वसूली के लिए मुकदमों के स्थान के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को विफल करने के किसी भी इरादे से बरेली अदालत में शिकायत दायर की गई थी। अगर कोई

उस तरह की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था और साबित किया गया था, अन्य

विचार उत्पन्न होंगे। लेकिन इस मामले में, जैसा कि मैंने कहा है, नहीं

ऐसा सुझाव दिया गया है।

6. रामदीन और अन्य बनाम में भी इसी तरह का दृष्टिकोण लिया गया था।

एरान दुलैया और अन्य, ए. आई. आर. 1952 नाग। 303 (भरा हुआ।

; बसंत प्रिया देई और एक अन्य बनाम रामकृष्ण दास और , ए. आई. आर 1960 ओ. आर. 159 ; लक्ष्मीबाई बनाम माधनकर विनायक [2019] 2 एस. सी. आर.

कुलकर्णी और अन्य, ए. आई. आर. 1968 कांत। 82 ; प्रेम कुमार और अन्य बनाम धरम पाल सहगल और अन्य, ए. आई. आर. 1972 दिल्ली 90 और जानकी देवी बनाम मनीलाल और अन्य, ए. आई. आर. 1975 सभी। 91 .

17. विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ-साथ प्रिवी काउंसिल के विचार, जैसा कि ऊपर देखा गया है, स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि धारा 17 को तब लागू माना गया है जब विभिन्न जिलों में एक से अधिक संपत्ति स्थित हैं।

18. ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक न्यायालय में मुकदमा दायर करने की अनुमति दी गई है, जहां संपत्तियां, जो मुकदमे की विषय वस्तु हैं, विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं।

अलग-अलग अधिकार क्षेत्र में स्थित संपत्ति के संबंध में मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण एक ही है। एक मुकदमे में जब मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण अलग होता है, तो अदालतों ने विभिन्न अदालतों में स्थित संपत्ति से संबंधित मुकदमों पर विचार करने के लिए एक अदालत के अधिकार क्षेत्र को बरकरार नहीं रखा है। इस संदर्भ में, हमें उच्च न्यायालयों के साथ-साथ प्रिवी काउंसिल के कुछ निर्णयों का उल्लेख करने की आवश्यकता है, जिन्होंने इस मुद्दे पर विचार किया है। सरदार निसार अली खान बनाम मोहम्मद अली खान, आकाशवाणी

1932 पी. सी. 172, प्रिवी काउंसिल के पास उस मामले पर विचार करने का अवसर था जहां मुकदमे का विषय विभिन्न अदालतों के अधिकार क्षेत्र में स्थित कई संपत्तियां थीं। सूट की स्थापना अवध (जो बाद में उत्तर प्रदेश का हिस्सा बन गया) में की गई थी। प्रिवी काउंसिल ने माना कि चूंकि वहाँ था

क्रियाओं के विभिन्न कारणों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। एक संपत्ति, जो पंजाब में स्थित थी, को मुकदमे में खालिकाबाद संपत्ति के रूप में संदर्भित किया गया था। हालाँकि, अन्य तीन संपत्तियों के संबंध में मुकदमे में कार्रवाई का कारण समान था, लेकिन खालिकाबाद संपत्ति के संबंध में कार्रवाई का कारण अलग पाया गया, अदालत ने माना कि धारा 17 सिविल प्रक्रिया संहिता लागू नहीं थी। निम्नलिखित रखा गया था

प्रिवी काउंसिल द्वारा मामले में नीचेः

" खालिकाबाद एस्टेट का सवाल बना हुआ है। यहाँ प्रत्यर्थी तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह यह नहीं दिखाता कि

वक्फ बनाने वाले विलेख की शर्तें वह ट्रस्टी है। यह सवाल विलेख के निर्माण पर निर्भर करता है। यह कार्रवाई का एक अलग और अलग कारण है जो पाया गया अन्य तीन संपत्तियों के संबंध में कार्यवाही। उनके अधिपति इस संपत्ति के संबंध में मुकदमा लाने के लिए उस जिले के न्यायालय के अलावा कहीं और कोई अधिकार क्षेत्र खोजने में असमर्थ हैं जहां संपत्ति स्थित है। इस तरह का औचित्य उनके लॉर्डशिप के फैसले में धारा 17, सिविल पी. सी. में नहीं पाया जा सकता है, जिस पर प्रतिवादी ने भरोसा किया था। शिवनारायण (डी) एल. आर. एस.

वी. मानिकलाल (डी) टीएचआर। एलआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

19. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर प्रतिवादी के विद्वान वकील ने बहुत भरोसा किया है।

ए. आई. आर. 1942 ऑल में रिपोर्ट किया गया। 387 , करण सिंह और अन्य बनाम कुंवर सेन और अन्य। उपरोक्त मामले में, मुक़दमे की संपत्तियाँ हरिद्वार और अमृतसर में स्थित थीं। सहारनपुर के सिविल जज की अदालत में मुकदमा दायर किया गया था। धारा 22, सिविल पी. सी. के तहत एक आवेदन यह निर्धारित करने के लिए दायर किया गया था कि क्या सहारनपुर के सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित एक मुकदमा पंजाब के अमृतसर में अधिकार क्षेत्र वाले संबंधित न्यायालय में आगे बढ़ना चाहिए। अदालत ने धारा 17 पर ध्यान देने के बाद कहा कि वादी दो संपत्तियों के खिलाफ दो संपत्तियों का दावा कर रहे थे।

प्रतिवादी, जिन पर उन्होंने अतिक्रमण करने का आरोप लगाया था। अदालत ने कहा कि जब तक कार्रवाई के एक कारण पर मुकदमा दायर नहीं किया जाता है, तब तक अलग-अलग अधिकार क्षेत्र में स्थित दो संपत्तियों को जोड़ा नहीं जा सकता है। निम्नलिखित निर्धारित किया गया थाः

" इन टिप्पणियों को करने के बाद मुझे अब इस प्रश्न पर लौटना होगा कि क्या जिस मुकदमे के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, उसमें यह कहा जा सकता है कि हरिद्वार में संपत्ति के कब्जे में प्रतिवादियों और अमृतसर में संपत्ति के कब्जे में प्रतिवादियों के खिलाफ दावा की गई राहत कृत्यों या लेनदेन की एक ही श्रृंखला से उत्पन्न होती है और क्या दावा की गई दो संपत्तियों को धारा 17 के प्रयोजनों के लिए एक ही इकाई के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि ज्वाला देवी द्वारा निष्पादित वसीयत के तहत अमर नाथ को अमृतसर की संपत्ति के हस्तांतरण और उसके बाद उनके और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा एक ओर ब्याज में किए गए हस्तांतरण और प्रेम देवी द्वारा हरिद्वार की संपत्ति के हस्तांतरण के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं है।
दूसरा हाथ। यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि वादी संपत्ति के किसी भी प्रतिद्वंद्वी दावेदार के खिलाफ बद्री दास की संपत्ति पर समग्र रूप से दावा नहीं कर रहे हैं। वे प्रतिवादियों के दो समूहों के खिलाफ दो संपत्तियों का दावा कर रहे हैं, जिन पर वे अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हैं और यदि वे अतिक्रमणकारी हैं, तो उनका एक-दूसरे से कोई संबंध नहीं है। एकमात्र जुड़ाव यह है कि दोनों संपत्तियों में वादी का दावा प्रेम देवी की मृत्यु के समय हुआ था और यह दावा इस धारणा पर आधारित है कि

प्रतिवादियों के कब्जे में सीमित मालिकों द्वारा किए गए हस्तांतरण के परिणाम के रूप में हैं जो अपने जीवन के दौरान, पूरी संपत्ति और शामिल संपत्तियों का आनंद लेने के हकदार थे।

उसके भीतर। यह कई साल पहले एमएसटी के मामले में आयोजित किया गया था। जेहान बीबी बनाम। शैवुक राम (1867) एच. सी. आर. 1. 109, कि एक हिंदू विधवा द्वारा पति की संपत्ति के भीतर निहित संपत्तियों के असंबद्ध हस्तांतरण ने [2019] 2 एस. सी. आर. के खिलाफ कार्रवाई के एक कारण को जन्म नहीं दिया।

विभिन्न हस्तांतरणकर्ता। बिंदु बीबी बनाम के मामले में भी यही नियम निर्धारित किया गया था। रामचंद्र (1919) 17 ए. एल. जे. 658। उस मामले में मूर्ति बनाम में निर्णय का संदर्भ दिया गया था। भोला राम (1893) 16 सभी 165 और यह बताया गया कि यह एक ऐसा मामला था जिसमें एक प्रतिवादी के खिलाफ दावा किया गया था जिसने एक डिक्री के निष्पादन में विभिन्न संपत्तियों का कब्जा ले लिया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह मामला स्पष्ट रूप से उस मामले से अलग है जिससे हम निपट रहे हैं।

20. उपरोक्त निर्णय पर बाद में भरोसा किया गया और समझाया गया

श्रीमती में हबाद उच्च न्यायालय। जानकी देवी बनाम मन्नी लाल और

, ए. आई. आर. 1975 ऑल। 91. पैराग्राफ No.11 में, निम्नलिखित रखा गया था

संपत्तियों को एक इकाई के रूप में माना जा सकता है एक संयुक्त परीक्षण होगा अनुमेय लेकिन नहीं जहां वे कार्रवाई के विभिन्न कारणों के साथ कमोबेश अलग-अलग गुण हैं। भौतिक अवलोकन निम्नानुसार हैं:

" ..... और इसका तात्पर्य है, मेरे विचार में, कि कार्य या लेन-देन, जहां वे अलग हैं, ऐसे होने चाहिए

एक एकल श्रृंखला के गठन के रूप में जुड़ा हुआ है जिसे निष्पक्ष रूप से एक इकाई या तथ्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो सभी प्रतिवादियों के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई का कारण बनेगा। यह आवश्यक शर्त किसी विशेष मामले में मौजूद है या नहीं, यह निश्चित रूप से मामले की प्रकृति पर निर्भर करेगा, लेकिन मैं

इस बात से संतुष्ट हैं कि कम से कम यह आवश्यक है कि मामला ऐसा हो कि यह कहा जा सके कि जिस न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था, उसके पास वादी और प्रत्येक प्रतिवादी के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों से निपटने के लिए पहली बार में स्थानीय अधिकार क्षेत्र था।

मुकदमे की विशेष परिस्थितियों में संपत्ति को एकल इकाई के रूप में वर्णित करने में सक्षम होना चाहिए। इसे इस तरह से वर्णित किया जा सकता है या नहीं, यह फिर से पक्षों के बीच विवाद की प्रकृति पर निर्भर करेगा। यदि कोई विवाद है, उदाहरण के लिए/नारायण (डी) एल. आर. एस. द्वारा।

वी. मानिकलाल (डी) टीएचआर। एलआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

एक एकल संपत्ति के बारे में जो दोनों पक्ष समग्र रूप से दावा कर रहे हैं कि संपत्ति स्पष्ट रूप से उस विशेष के उद्देश्यों के लिए है जो एक एकल इकाई के लिए उपयुक्त है। यदि, दूसरी ओर, किसी संपत्ति के मालिक के पास एक

असंबद्ध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ दावा जिन्होंने अतिक्रमण किया है

संपदा के विभिन्न भागों या स्थित विभिन्न संपत्तियों पर

इसके भीतर, उन भागों या उन गुणों के लिए नहीं होगा

उसके और अतिक्रमणकारियों के बीच विवाद के उद्देश्य

एक इकाई लेकिन कई संस्थाएं और धारा 17 के प्रावधान,

"लागू नहीं होगा।

1. इस प्रकार, दो से अधिक न्यायालयों की संपत्तियों से संबंधित न्यायालय में दायर मुकदमे के लिए, मुकदमा केवल तभी बनाए रखा जा सकता है जब

कार्रवाई के एक कारण पर दायर किया गया। 22. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वर्मा ने अपनी सहमति वाली राय में

एक सिंह बनाम। कुंवर सेन (ऊपर) ने धारा 17 सी पर विचार करते हुए चित्रण देकर अपने विचारों को समझाया है। निम्नलिखित था

न्यायमूर्ति वर्मा द्वारा

" मैं सहमत हूँ, मान लीजिए कि एक बिखरे हुए हिंदू की मृत्यु हो जाती है

कराची, पेशावर, लाहौर, इलाहाबाद, पटना, ढाका, शिलांग, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में पूरे भारत में फैली अचल संपत्ति और उसके बाद उसकी विधवा आती है, जो 40 या 50 वर्षों के दौरान, ऊपर उल्लिखित प्रत्येक स्थान पर स्थित संपत्ति के कुछ हिस्सों को अलग-अलग तारीखों पर अलग-अलग व्यक्तियों को हस्तांतरित करती है, जिनमें से प्रत्येक उस स्थान पर रहता है जहां उसे हस्तांतरित संपत्ति स्थित है, और हस्तांतरण हैं:

एक दूसरे से पूरी तरह से असंबद्ध और स्वतंत्र। उस पर

विधवा की मृत्यु को उलटने वाला इन्हें चुनौती देना चाहता है

विभिन्न स्थानान्तरण। वादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि ऐसे मामले में प्रत्यावर्तक ऊपर उल्लिखित स्थानों में से किसी एक पर सभी स्थानान्तरणों को चुनौती देने वाला एक मुकदमा लाने का हकदार है, सभी हस्तांतरणकर्ताओं को शामिल करते हुए, मुझे यह मानना बहुत मुश्किल लगता है कि इस तरह का परिणाम सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों द्वारा विचार किया गया है, जिस पर निर्भरता रखी गई है।

और जिनका उल्लेख मेरे विद्वान भाई के निर्णय में किया गया है। मैं इस मामले को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं समझता। यह मेरे दिमाग में स्पष्ट है कि यदि वादी; ऊपर उल्लिखित तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो चौंका देने वाले परिणाम सामने आएंगे।

23. अब, हम विद्वान परामर्श प्रस्तुत करने के लिए आते हैं

सी. पी. सी. की धारा 39 की उप-धारा (1) (सी) के आधार पर यह प्रस्तुत किया गया है कि सी. पी. सी. की धारा 39 (1) (सी) भी इस बात का संकेत है कि [2019] 2 एस. सी. आर. में क्या इरादा है।

धारा 17. धारा 39 द्वारा वर्णित योजना इंगित करती है कि जब किसी न्यायालय द्वारा उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के बाहर स्थित अचल संपत्ति की बिक्री या वितरण के संबंध में कोई डिक्री पारित की जाती है। यह निष्पादन के लिए डिक्री को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि न्यायालय की डिक्री में उस न्यायालय की स्थानीय सीमाओं में स्थित अचल संपत्ति के साथ-साथ न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर स्थित संपत्ति शामिल हो सकती है। धारा 39 (1) (सी) हमारे निष्कर्ष को फिर से लागू करती है कि धारा 17 के अनुसार मुकदमा दायर किया जा सकता है

न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमा के बाहर स्थित अचल संपत्ति। तथापि, हम यह जोड़ सकते हैं कि न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर स्थित अचल संपत्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा डिक्री पारित करना न केवल धारा 17 तक सीमित हो सकता है, बल्कि ऐसी अन्य परिस्थितियां भी हो सकती हैं जहां ऐसी डिक्री पारित की जाती है। सी. पी. सी. की धारा 20 उन परिस्थितियों में से एक हो सकती है जहां प्रतिवादी के खिलाफ डिक्री पारित की जा सकती है जिसकी संपत्ति एक से अधिक न्यायालयों की स्थानीय सीमाओं के स्थानीय अधिकार क्षेत्र में स्थित हो सकती है।

24. हम आगे ध्यान दे सकते हैं कि धारा 17 में 'किसी भी न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है' शब्दों का उपयोग किया गया है। धारा 17 में शब्द का उपयोग कुछ मामलों में एक से अधिक न्यायालयों के स्थानीय अधिकार क्षेत्र में स्थित अचल संपत्ति के संबंध में एक मुकदमा दायर नहीं करने के लिए विवेकाधिकार छोड़ देता है। नियम के अपवादों में से एक आंशिक विभाजन का मामला है जहां पक्ष कुछ संपत्ति को संयुक्त रखने और कुछ संपत्तियों का विभाजन प्राप्त करने के लिए सहमत होते हैं। 25. संयुक्त परिवार के संबंध में संपत्ति का आंशिक विभाजन सर्वमान्य सिद्धांत है। मेन के हिंदू लॉ एंड यूसेज में, पैराग्राफ 485 में 16 वें संस्करण में निम्नलिखित कहा गया हैः

" 485. विभाजन आंशिक या कुल। - विभाजन या तो पूर्ण या आंशिक हो सकता है। व्यक्तियों के संबंध में विभाजन आंशिक हो सकता है।

इसे या संपत्ति को विभाजित करना।

संपत्तियों के बारे में आंशिक। - यह संयुक्त परिवार के सदस्यों के लिए संयुक्त संपत्ति के एक हिस्से के संबंध में गंभीर ब्याज के लिए खुला है, जबकि एक संयुक्त परिवार की स्थिति को बनाए रखते हुए और शेष को अविभाजित परिवार की संपत्तियों के रूप में रखते हुए। जब तक संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन के लिए कुछ सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक यह जारी रहेगी।

संयुक्त परिवार की संपत्ति "।

26. हिंदू कानून पर मुल्ला, 22 वां संस्करण संपत्ति के संबंध में या निर्माण करने वाले व्यक्तियों के संबंध में आंशिक विभाजन को भी संदर्भित करता है।

यह। पैराग्राफ 327 में निम्नलिखित कहा गया हैः

शिवनारायण (डी) एल. आर. एस. वी. मानिकलाल (डी) टीएचआर। एलआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

" " 327. आंशिक विभाजन। - (1) सह-भागीदारों के बीच एक विभाजन

संपत्ति के संबंध में या के संबंध में आंशिक हो सकता है

लोग इसे बनाते हैं।

विभाजन प्रभावित होने के बाद, यदि कुछ गुणों का उपचार किया जाता है

सामान्य गुणों के रूप में, यह नहीं माना जा सकता है कि ऐसे गुण संयुक्त संपत्तियाँ बनी रहीं, क्योंकि शीर्षक का विभाजन था,

लेकिन ऐसी संपत्तियों को वास्तव में विभाजित नहीं किया गया था। (2) संपत्ति के बारे में आंशिक। - यह संयुक्त परिवार के सदस्यों के लिए एक संयुक्त परिवार के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखते हुए संयुक्त संपत्ति के एक हिस्से के संबंध में विभाजन और ब्याज को अलग करने के लिए खुला है।

और शेष को संयुक्त और अविभाजित के गुणों के रूप में धारण करना।

परिवार "।

वर्तमान मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दे आंशिक विभाजन के विषय से संबंधित नहीं हैं, इस मुद्दे को आगे और हल करने की आवश्यकता नहीं है।

27. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि

अलग-अलग अधिकार क्षेत्र में स्थित संपत्ति के संबंध में एक अलग मुकदमा दायर करने की अनुमति देने से परस्पर विरोधी निर्णय होगा और एक मुकदमे में निर्णय दूसरे मुकदमे में भी न्यायिक हो सकता है। हम वर्तमान मामले में ऐसी स्थिति से सीधे तौर पर चिंतित नहीं हैं जहां एक से अधिक मुकदमे या परस्पर विरोधी राय वाले मामले हैं, इसलिए हमें इस मुद्दे पर आगे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।

28. सी. पी. सी. की धारा 16 और 17 एक वैधानिक योजना का हिस्सा हैं। धारा 16 में सामान्य सिद्धांत है कि जहां विषय-वस्तु स्थित है, वहां मुकदमे दायर किए जाने हैं, जबकि धारा 17 धारा 16 में होने वाले सामान्य नियम के अपवाद को शामिल करती है। पूर्वगामी से

चर्चा करते हुए, हम सी. पी. सी. की धारा 17 के दायरे और दायरे के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचते हैं।

(i) धारा 17 में आने वाला 'संपत्ति' शब्द हालांकि 'एकवचन' में प्रयोग किया गया है, लेकिन सामान्य खंड अधिनियम की धारा 13 के आधार पर इसे इस प्रकार भी पढ़ा जा सकता है -

' बहुवचन ', अर्थात' गुण '।

((ii) संपत्ति के किसी भी हिस्से को विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में स्थित एक या अधिक संपत्तियों के हिस्से के रूप में पढ़ा जा सकता है और इसे विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में स्थित कई संपत्तियों के हिस्से के रूप में भी पढ़ा जा सकता है।

विभिन्न अदालतें।

((iii) अचल संपत्ति या संपत्तियों के संबंध में एक मुकदमा।

विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में स्थित 2 एस. सी. आर. स्थापित किए जा सकते हैं।

किसी भी न्यायालय में जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, संपत्ति का कोई भी हिस्सा या एक या एक से अधिक संपत्तियां

स्थित रहें।

((iv) विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में स्थित एक से अधिक संपत्तियों के संबंध में मुकदमा क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर एक अदालत में स्थापित किया जा सकता है, जहां एक या अधिक संपत्तियां स्थित हैं, बशर्ते कि मुकदमा विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में स्थित संपत्तियों के संबंध में कार्रवाई के समान कारण पर आधारित हो।

29. अब, हम वर्तमान मामले के तथ्यों और अभिलेख पर दलीलों पर लौटते हैं। अपीलार्थी द्वारा दायर मुकदमे में तीन अलग-अलग सेट थे प्रतिवादियों के प्रत्येक समूह के लिए कार्रवाई के विभिन्न कारणों वाले प्रतिवादियों का। प्रतिवादी सं। चार से छह प्रतिवादी हैं जिनके पक्ष में विल दिनांकित 15.02.2000 को स्वर्गीय श्रीमती द्वारा निष्पादित किया गया था। विमल वैद्य। शिकायत में, पैरा 25 (एच) में दावा की गई राहत स्वर्गीय श्रीमती द्वारा निष्पादित वसीयत है। विमल वैद्य को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी। मुकदमे में कार्रवाई का दूसरा कारण स्वर्गीय श्रीमती द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख से संबंधित है। विमल वैद्य दिनांकित 15.10.2007 प्रतिवादी Nos.7 के पक्ष में और 8 के साथ निष्पादित किया गया

कार्रवाई के विभिन्न कारणों के आधार पर और एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता था। बॉम्बे संपत्ति के संबंध में बनाया गया मुकदमा स्पष्ट रूप से इंदौर अदालतों में बनाए रखने योग्य नहीं था। निचली अदालत ने बॉम्बे की संपत्ति से संबंधित दलीलों और राहत को खारिज करने में कोई गलती नहीं की इसके दिनांकित आदेश 17.08.2011 के अनुसार।

30. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने भी संदर्भित किया है और

आदेश II नियम 2 और आदेश II नियम 3 सी. पी. सी. पर निर्भर विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि आदेश II नियम 2 उपखंड (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक वाद इसमें वह पूरा दावा शामिल है जो वादी कार्रवाई के कारण के संबंध में करने का हकदार है। आदेश II नियम 2 उपखंड (1) के अनुसार कार्रवाई का कारण कार्रवाई का एक कारण है। आदेश II नियम 2 उपखंड (1) द्वारा जो अपेक्षित है वह यह है कि प्रत्येक वाद में कार्रवाई के कारण के आधार पर पूरा दावा शामिल होगा।

आदेश II नियम 2 एल. आर. एस. द्वारा शिवनारायण (डी) नहीं हो सकता है। वी. मानिकलाल (डी) टीएचआर। एलआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

एक मुकदमे में कार्रवाई के विभिन्न कारणों को जोड़ने की अनुमति देने के लिए इस तरह से पढ़ें। अपीलार्थी के लिए आदेश II नियम 3 पर भरोसा करते हुए विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि कार्रवाई के कारणों की अनुमति है। आदेश II नियम 3 के उपखंड (1) के अवलोकन में यह प्रावधान है कि वादी एक ही वाद में एक ही प्रतिवादी के खिलाफ कार्रवाई के कई कारणों को एकजुट कर सकता है, या एक ही

प्रतिवादी संयुक्त रूप से। अनुमेय बात यह है कि एक ही प्रतिवादी या एक ही प्रतिवादी के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई के कई कारणों को एक ही मुकदमे में एकजुट करना है। वर्तमान मामले में मुकदमा एक ही प्रतिवादी या एक ही प्रतिवादी के खिलाफ संयुक्त रूप से नहीं है। जैसा कि ऊपर देखा गया है कि प्रतिवादियों के अलग-अलग समूह हैं जिनके कार्यों के अलग-अलग कारण हैं। 31. विद्वान वकील ने अंत में प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी संख्या। 7 और उनके आवेदन में कार्रवाई के कारण पर सवाल नहीं उठाए जाने के कारण, जिसके लिए मुकदमा दायर किया गया था, प्रत्यर्थी की ओर से वकील की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि मुकदमा कार्रवाई के कारणों के गलत कारण के लिए बुरा था, उसे उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

32. यह प्रतिवादी संख्या द्वारा दायर आवेदन में नोटिस के लिए प्रासंगिक है। 7 और 8, आवेदन के शीर्षक में ही "पक्षकारों की गलती और कार्रवाई के कारणों" का उल्लेख किया गया है। आवेदन के पैरा (1) में, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि पक्षों और कार्रवाई के कारणों में गड़बड़ी थी। निचली अदालत ने अपने दिनांकित 17.08.2011 के आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से माना है कि वादी ने कार्रवाई के विभिन्न कारणों को जोड़ा है जिन्हें वर्तमान मुकदमे से हटा दिया जाना है। निचली अदालत ने आगे कहा कि वादी विभिन्न संपत्तियों और अलग-अलग कारणों को शामिल करने में उचित नहीं है।

एकल सूट में संयोजन क्रियाएँ।

33. इस प्रकार, हमारा विचार है कि निचली अदालत ने प्रतिवादी Nos.7 और 8 द्वारा दायर आवेदन को सही मंजूरी दी है। उच्च न्यायालय ने किया

निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने में कोई त्रुटि न करें।

हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं, अपील खारिज कर दी जाती है

तदनुसार।

या

चिका खारिज कर दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी